प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय,
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक......................./रा0

प्रेषक,

चन्द्र मोहन प्रसाद कश्यप, भा0प्र0से0,
प्रमंडलीय आयुक्त,
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका
–सह–
अध्यक्ष अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति।

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका/देवघर/गोड्डा/साहेबगंज/जामताड़ा/पाकुड़।

दुमका, दिनांक..........................

विषय :– **संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के सभी जिलों में अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम दर निर्धारित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–229/नि0रा0, दिनांक–10.06.2020, पत्रांक–411/नि0रा0, दिनांक–13.10.2020 एवं पत्रांक–29/नि0रा0, दिनांक–04.01.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञापांक–567 दिनांक–27.04.2016 के आलोक में संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के सभी जिलों में अविक्रयशील कृषि भूमि के न्यूनतम दर निर्धारण के बिन्दु पर दिनांक–07.07.2021 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमण्डलान्तर्गत सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति की बैठक आहूत की गयी।

उक्त बैठक में सभी जिलों से प्राप्त दर प्रतिवेदनों पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से उपज के आधार पर निम्न रूप में गणना किये गये मूल्य को प्रमण्डलान्तर्गत सभी जिलों हेतु अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

- धानी–I का मूल्य=(रू0 20,000+रू0 13,000) X 30 X (1+गणना वर्ष से गेहूँ एवं धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का प्रतिशत)

क्र0	फसल का नाम	आधार वर्ष 2011–12	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20	वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1	धान	1080	1815	735	
2	गेहूँ	1285	1925	640	
	कुल–	2365	3740	1375	58.14%

धानी–I का मूल्य=(रू0 20,000+रू0 13,000) X 30 X (1+गणना वर्ष से गेहूँ एवं धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का प्रतिशत

धानी–I का मूल्य=(रू0 33,000) X 30 X (1+58/100)

= 99,0000 X (1.58)

- धानी–I का मूल्य = 1564200 रू0 प्रति एकड़
- धानी–II (धानी–I का 3/4) = 1173150 रू0 प्रति एकड़
- धानी–III एवं बाड़ी–II (धानी–I का 1/2) = 782100 रू0 प्रति एकड़
- बाड़ी–I (धानी–I का 5/8) = 977625 रू0 प्रति एकड़
- आवासीय भूमि (Homestead Land) का मूल्य (धानी–I का मूल्य)=1564200 रू0 प्रति एकड़
- धानी-I/धानी–II/ धानी-III/बाड़ी-I/बाड़ी-II के अलावे अन्य किस्म के भूमि को बाड़ी–II में रखने का निर्णय लिया गया।
- समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त दर 13.07.2020 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।
- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञापांक–567 दिनांक–27.04.2016 के आलोक में अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण दिनांक–13.07.2020 से आगामी 02 वर्षों के लिए मान्य होगा।

अतः उक्त के क्रम में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रमंडलीय आयुक्त
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका
–सह–
अध्यक्ष अविक्रयशील कृषि भूमि
न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति।

ज्ञापांक................../रा0, दुमका, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी दुमका/देवघर/गोड्डा/जामताड़ा/साहेबगंज/पाकुड़ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रमंडलीय आयुक्त
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका
–सह–
अध्यक्ष अविक्रयशील कृषि भूमि
न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति।

ज्ञापांक........159......../रा0, दुमका, दिनांक........7.7.2021..........

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

7/7/2021

प्रमंडलीय आयुक्त
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका
–सह–
अध्यक्ष अविक्रयशील कृषि भूमि
न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति।